

* Anticipated Taxable Income for calculation of Income Tax for Assessment Year : ₹. 36,150/-
2021-2022

Being system generated document, signature is not required.

For any grievances, send the observation to PAO mail id:grievanceeeme.dad@hub.nic.in

Accounts Officer / Sr. Accounts Officer

Notes :

- 1) पत्रता की राशि को नाम लिखने के बैंक को भेजी राशि अंतर्लक्ष है।
- 2) लेखा विवरणी की प्राप्ति की तारीख से दो महीनों की अवधि तक यदि वेतन लेखा कार्यालय से कोई पूछ ताछ अथवा प्रश्न प्राप्त नहीं होता है यह माना जाएगा कि संबंधित व्यक्ति अपने लेखा से संतुष्ट हैं।
- 3) आयकर मासिक तौर पर वसूल किया जाएगा। वेतन बिल में न दिखने वाले अर्थात् अलग से की गई बचत का विवरण तुरंत पी. ए. ओ. को सूचित किया जाना चाहिए।
- 4) वित्त अधिनियम सं 2, 2009 की धारा 206 अउ के अनुसार प्रभावी तारीख 01.04.2010 से कर्मचारी को अनिवार्य रूप से अपना पैन नं देना होगा।
- 5) यदि कर्मचारी अपना पैन नं आयकर काटने वाले प्राधिकारी को देने में विफल होते हैं तो उक्त प्राधिकारी आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उच्चतर दरों से टी.डी.एस. काटेंगे। अतः कृपया तुरंत पी. ए. ओ. को पैन नं सूचित करें।
- 6) सेवा कर्मिक भविष्य निधि विवरण में दर्शाया गया अभिदान पिछले महीने की वसुली से संबंधित है।
- 7) 'जमा' के अधीन 'आवर्ती भत्ते' भत्तों के योग को प्रतिबिंबित करते हैं जिसमें 'वेतन के दर' के अधीन दर्शाए गए वेतन के घटकों को सम्मिलित नहीं किया गया है।
- 8) 'जमा' के अधीन 'अन्य समायोजन' महीने के दौरान लेखाकरण खाना घटकों में समायोजित राशि के योग को प्रतिबिंबित करते हैं।